ISSN2393-8838
Date of Publishing 19th May Vol. No.30 Issue No.5
MAY 2019
Rs.10/-

मासिक

इसलाहे समाज

समाज सुधारक पत्रिका

राष्ट्रीय सद्भावना, भाईचारा, अम्न व शान्ति और इन्सानी हमदर्दी हमारे देश की पहचान है, इस पहचान को बाकी रखना हम सभी देशवासियों की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द

1

रमज़ान ख़ैर व बर्कत का महीना

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जो ईमान और सवाब हासिल करने की निय्यत से रमज़ान के रोज़े रखेगा तो उसके पिछले तमाम गुनाह मआफ कर दिए जाएंगे'' (बुखारी–38, मुस्लिम–760)

रमज़ान महीने का एक एक पल खैर व बरकत से भरा हुआ है, यह रहमत, मग़फ़िरत, सदक़ा, खैरात, तौबा व इस्तेग़फार और लोगों के दुख दर्द को बाँटने वाला महीना है। सूरे बक़रा में रोजे के मकसद को इन शब्दों में बताया गया है:

''ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा रखना फर्ज़ किया गया है जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फर्ज़ किया गया था ताकि तुम तक़वा एख़्तियार करो'' (सूरे बक़रा 18)

''रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरआन को उतारा गया जो लोगों को हिदायत करने (सीधा रास्ता दिखाने वाला) है और जिसमें हिदायत की और सत्य व असत्य में अन्तर करने की निशानियां हैं। तुम में से जो शख़्स इस महीने को पाये उसे रोज़ा रखना चाहिए। हां! जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में यह गिन्ती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तआला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है सख़्ती का नहीं है। वह चाहता है कि तुम गिन्ती पूरी कर लो और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसकी बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र करो। '' (सूरे बक़रा–184–185) इस लिये हर मोमिन को चाहिए कि वह इन दिनों की इबादतों से भायदा उठाए केवल नेक आमाल की तमन्ना करना किसी इन्सान की कामयाबी की ज़मानत नहीं हो सकती बल्कि ईमान के साथ हर हर अमल में सवाब की निय्यत के ज़रिए ही कामयाबी पा सकता है। ऊपर की हदीस में ऐसे लोगों के गुनाह को मआफ करने की खुशखबरी सुनाई गई है जो रमज़ान का रोज़ा ईमान के साथ रखते हैं यानी अपने आमाल को ईमान की शर्तों के अनुसार करते हैं अपने पिछले कर्मों का आत्मनिरीक्षण करते हैं। गुज़रे दिनों में नेक कामों पर खुश होते हैं, और अपने गुनाह पर शर्मिन्दा होते हैं।

वह लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने रमज़ान का स्वागत सुन्नते नबवी के अनुसार किया रमज़ान के मुबारक लमहात से फायदा उठाने का संकल्प किया और अल्लाह की खुशी के लिये नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बुराइयों से दूर रहा। अल्लाह से दुआ है कि वह हम तमाम लोगों को रमज़ान के महीने को गनीमत जानते हुए उसकी बरकत से फायदा उठाने और ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, दुआ तौबा व इस्तेग़फार सदक़ात व खैरात, कद्र की रातों में इबादत करने और एतकाफ करने की क्षमता दे और रमज़ान को देश व मिल्लत, इन्सानियत के निर्माण व तरक्की, कामयाबी, भाई चारा और अम्न व शान्ति का जरिया बनाये और हम सबको इसकी बाबर्कत घड़ियों से लाभान्वित करे। आमीन

इसलाहे समाज
मई 2019 2

मासिक

इसलाहे समाज

मई 2019 वर्ष 30 अंक 5

रमज़ानुल मुबारक 1440 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् हक़्क़

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये
- टोटल पेज 28

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट 2035 क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक़्क़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. रमज़ान ख़ैर व बर्कत का महीना 2
2. आत्महत्या अपराध और महा पाप 4
3. रोज़े का फ़ायदा 6
4. श्रीलंका में आतंकी हमले निन्दनीय 7
5. पाप की सज़ा 8
6. कौन लोग ज़कात के हक़दार हैं? 10
7. ऐलाने दाखिला 13
8. फितनों से सुरक्षित रहने के सिद्धांत 14
9. कार्य समिति मीटिंग में दाइश और आतंकवाद की निन्दा 16
10. ईदैन के अहकाम और मसाइल 21
11. सदाचार की अहमियत 24
12. प्रेस रिलीज़ (वफीयात) 25
13. जमाअती ख़बर 25
14. जानवरों पर इस्लाम की कृपादृष्टि 26
15. बुराई को ख़तम करने का तरीक़ा 27
16. रमज़ान के मौका पर तआवुन की अपील28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

आत्महत्या अपराध और महा पाप

नौशाद अहमद

इन्सान की यह ज़िन्दगी इस संसार के पालनहार अल्लाह की अमानत है, वह इस अमानत का असल स्वामी है, दुनिया का कोई इन्सान इस दुनिया में यूं ही नहीं आया है बल्कि उसकी ज़िन्दगी का एक मक़सद है और अल्लाह की तरफ से तय किया गया एक सिद्धांत है जिसके अनुसार इन्सान को अपने इस जीवन को व्यतीत करना है। इसलिये इन्सान को यह फैसला लेने का अधिकार नहीं कि उसको इस दुनिया में कब तक रहना है और कब तक नहीं रहना है। इन्सान के जीवन के बारे में इस्लाम का यही दृष्टिकोण (कॉनसेप्ट) है लेकिन इतना तय है कि इन्सान को एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से है। अल्लाह ने इन्सान के जीवन को कितना सम्माननीय और प्रतिष्ठित क़रार दिया है इस का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमान-ए- जाहिलियत के लोग अपनी औलाद ख़ास तौर से लड़कियों को गरीबी तंग दस्ती के कारण क़त्ल कर देते थे लेकिन इस्लाम ने इस का सख्त विरोध किया और यह अक़ीदा पेश किया कि इस दुनिया में जो भी जानदार है उसके पालने पोसने और खिलाने का जिम्मा इस संसार के पालनहार अल्लाह ने ले रखा है और औलाद के कत्ल को महा पाप और हराम करार दिया चाहे वह लड़की हो या लड़का।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''और मुफलिसी के डर से अपनी औलादों को न मार डालो, उनको और तुम को हम ही रोज़ी देते हैं, यकीनन उनका क़त्ल करना कबीरा गुनाह (महापाप) है'' सूरे (बनी इसराईल-३१)

कुछ इन्सान हालात से मजबूर हो कर खुदकुशी (आत्म हत्या) कर लेते हैं इससे अल्लाह ने मना किया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''तुम अपने आपको क़त्ल न करो'' (सूरे निसा-आयत न०२६)

दूसरी जगह कुरआन में अल्लाह ने फरमाया ''तुम अपने आप को हिलाकत में न डालो'' (सूरे बक़रा आयत न० १६५)

इसके अलावा कुरआन की अनेकों आयात से पता चलता है कि इन्सान को अपनी जान को खत्म करने का अधिकार कदापि नहीं है।

हर वह काम जिससे इन्सान को नुक्सान पहुंचता है या उसके हलाक होने का कारण बन सकता है वह सब काम हराम हैं। इस्लाम में आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप और अपराध है इसका अन्दाज़ा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की निम्न हदीसों से लगाया जा सकता है।

आत्महत्या करने वाले की सोच यह होती है कि वह इस तरह के कदम उठाने से कठिनाइयों से बच जाए गा जब कि यह सोच उसे दुनिया और आखिरत (परलय) में नाकाम बना देती है। क्योंकि आत्महत्या करने वाले ने अपने पालनहार के बताए गये सिद्धांत के विपरीत काम किया है। एक अवसर पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स किसी

पहाड़ से स्वयं को गिरा कर मार डाले तो वह जहन्नम की आग में है और लगातार वह अपने आप को जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिये गिरता रहेगा इसी तरह से जो ज़हर पी कर अपने को हलाक कर ले तो वह जहर को अपने हाथ में लिये जहन्नम में चला जाता है और वह (अपने इस कुकर्म के कारण) हमेशा के लिया जहन्नम में रहेगा'' (बुखारी)

एक मौक़े पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम में से पहली उम्मत में एक व्यक्ति था जो घाव को सहन न कर पाने की वजह से उसने छुरी उठाई और अपना हाथ काट डाला जिस की वजह से वह मर गया। अल्लाह तआला ने इस व्यक्ति के बारे में कहा मेरे बन्दे ने अपनी जान के बारे में जल्द बाज़ी की (यानी दुख को सहन न करके खुद ही अपना आप को मार डाला) इस पर मैंने जन्नत को हराम कर दिया। (बुखारी)

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स अपना गला घोंटता है वह जहन्नम की आग में भी अपने गले को घोंटेगा और जो अपने आप को निशाना बनाता है वह जहन्नम की आग में भी उसी चीज़ के साथ अपने आप को निशाना बनाएगा। (बुखारी)

कहने का मतलब यह है कि इन्सान की जिन्दगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने इंसान को जिस मकसद के लिये पैदा किया है अपने जीवन को उस मकसद को पाने के लिये लगाना चाहिए, आत्महत्या या खुदकुशी को इस्लाम ने हराम करार दिया है और जो ऐसा करेगा वह महापरलय के दिन इस्लाम की तय की गई सजाओं का मुस्तहिक होगा। दुख मुसीबत आजमाइश है इस आजमाइश को अल्लाह की मदद से दूर करना चाहिए और कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए जो इन्सान को नरक में ले जाने का कारण बने।

कितने कायर और बुज़दिल हैं वह लोग जो लालच में लड़कियों को दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं। जो लोग भ्रूण हत्या के दोषी होते हैं उनका अपने पालनहार पर दृढ़ विश्वास नहीं होता है इसलिये वह इस तरह का क़दम उठाते हैं। भ्रूण हत्या इस्लाम में महा पाप और सख्त निन्दनीय है। हर इन्सान को इस कुकर्म से बचना चाहिए।

❑❑❑

इस्लाहे समाज

खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम........................

पिता का नाम...............

स्थान........................

पोस्ट आफिस...............

वाया........................

तहसील......................

जिला........................

पिन कोड..................

राज्य का नाम..............

मोबाइन नम्बर..............

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताः**अहले हदीस मंज़िल 4116,** उर्दू **बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6**

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

रोज़े का फायदा

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

रमज़ान के रोज़े का फलसफा यह है कि इन्सान के अन्दर स्वभाविक रूप से मौजूद बुराइयों के ऊपर रूहानी ताक़त का वर्चस्व हो जाए। उनकी वीरान जिन्दगी में बहार आ जाए, उनकी जिन्दगी में भलाई, सफलता के फूल खिल उठें, बुराइयों का खात्मा हो जाए। भ्रातत्व, भाईचारा, एकता और सदभाव को बढ़ावा मिले, निराशा के वातावरण में ईमान व विश्वास की हरारत और गर्मी पैदा हो जाए। दुनिया से भय, आतंक और फसाद का शोर खत्म हो कर अम्न व शान्ति, दया व करूणा के शादियाने बजने लगें और हर तरफ तकवा, पवित्रता, अल्लाह से भय, त्याग और निस्वार्थता की हवा चलने लगे इसी हकीकत को कुरआन ने इन शब्दों में बयान किया है।

"ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े रखना फर्ज़ किया गया जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फर्ज़ किया गया था ताकि तुम तक़्वा अख्तियार करो" प्राचीन और आधुनिक दौरे के बुद्धिजीवियों दार्शिनिकों और टीकाकारों ने रोज़े की जितनी हिकमतें और फायदे बताएं हैं उनका सारांश यह है कि इन्सान मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए और उसके कथन, कर्म और चरित्र व बर्ताव की खेती तक़्वा पवित्रता, ईश्परायणता की नमी व शब्नमी से सरसब्ज़ व शादाब हो जाए। इसलिये कि इन्सान के चरित्र को संवारने और घर, खानदान, समाज, देश, समुदाय और मानव जगत के लिये इसे हितकारी बनाने में तक़्वा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है।

तक़्वा ही का कमाल और प्रभाव है कि इन्सान अपने ही जैसे इन्सान की भूख पियास और बुनियादी ज़रूरतों का न केवल एहसास करने लगता है बल्कि वह ग़रीबों मोहताजों और हालात के मारों का मसीहा बन जाता है और इस तरह समाज में आपसी सहयोग और मदद की रूहानी फिजा (आध्यात्मिक वातावरण) स्थापित होती है।

यह तक़्वा ही है जो इन्सानों के अन्दर सब्र संयम की शक्ति और भावना पैदा करता है और जब इंसान इन ईमानी और रूहानी विशेषताओं से सुसज्जित हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से अम्न व शान्ति का प्रतीक बन जाता है, न वह किसी से लड़ता झगड़ता है, न किसी के साथ गालम गुलूच करता है, न किसी के खिलाफ ज़ुलम व अत्याचार और आतंकवाद और फितना अंगेजी को रवा रखता है, न वह समाज व मुआशरा और मुल्क व मिल्लत में फसाद व बिगाड़ को पसन्द करता है और न ही असमाजिक गतिविधियों का तमाशा देखता है इन तमाम तरह की बुराइयों के सामने तो बस उसका एक ही जवाब होता है कि मैं तो रोज़ेदार हूं और मुत्तकियों की राह पर अग्रसर हूं।

तक़्वा इन्सान की शारीरिक व्यवस्था को दुरूस्त रखता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्सान तक़्वा की दौलत से मालामाल हो जाता है तो वह हर वक़्त अल्लाह की खुशी पाने की तलाश में रहता है और उसे केवल यही नहीं कि जन्नत नसीब होती है बल्कि वह अल्लाह के दीदार का भी पात्र बन जाता है।

इसलिये रमज़ान के रोज़ों की बर्कतों से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। इस महीने के हर हर पल और छण को अल्लाह की

इबादत में लगाना चाहिए। दिन के रोज़े और रात की इबादतों के ज़रिये साल भर के गुनाहों की मआफी की उम्मीद रखनी चाहिए और अपने चरित्र व किरदार को संवार कर अल्लाह के रंग में रंग जाने का प्रयास करना चाहिए यही अल्लाह का हुक्म है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरआन को उतारा गया जो लोगों को हिदायत करने (सीधा रास्ता दिखाने वाला) है और जिसमें हिदायत की और सत्य व असत्य में अन्तर करने की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाये उसे रोज़ा रखना चाहिए। हां! जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में यह गिन्ती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह तआला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है सख़्ती का नहीं है। वह चाहता है कि तुम गिन्ती पूरी कर लो और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसकी बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र करो। '' (सूरे बक़रा-१८४-१८५)

अल्लाह तआला हम सबको रमज़ान के महीने की नेकियों और बर्कतों से लाभान्वित फरमाए (आमीन)

❑❑❑

श्रीलंका के गिरजाघरों और पांच सितारा होटलों में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमले अफसोसनाक एवं निन्दनीयः मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी

दिल्ली २२ अप्रैल २०१६(प्रेस रिलीज़) मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द से जारी एक अख़बारी बयान के अनुसार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के सम्माननीय अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने पिछले कल श्रीलंका में ईसाइयों के त्यौहार ईस्टर के मोके पर विभिन्न शहरों के गिरजाघरों और पांच सितारा होटलों में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमले जिन में तीन हिन्दुस्तानी नागरिक सहित लगभग २१५ लोग हलाक और पांच सौ से अधिक लोग ज़ख़्मी हो गये, की सख्त शब्दों में निन्दा की है और इसे मानवता के खिलाफ कायरतापूर्ण, वहशियाना (नृशंस) घिनावनी और अत्यन्त अफसोसनाक कार्रवाई क़रार दिया है। इसकी कोई भी धर्म और समाज इजाज़त नहीं दे सकता अतः इन मानवता दुश्मन दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाइयों की जितनी भी निन्दा की जाए कम है और आतंकवाद को किसी धर्म या आस्था से जोड़ना न्याय नहीं है।

सम्माननीय अमीर ने कहा कि यूं तो आतंकी कार्रवाइयां हर हाल में निन्दनीय है लेकिन इसकी दुष्टता और खतरनाकी उस वक़्त और ज़्यादा बढ़ जाती है जब इसे त्योहारों के अवसर पर और धर्मशालाओं में अंजाम दिया जाये।

सम्माननीय अमीर ने अपने अख़बारी बयान में विश्व-समुदाय से मांग की है कि वह इन मानवता विरोधी, कायर्तापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हरकतों की रोकथाम के लिये प्रभावी पालीसी तैयार करे और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर ईमानदाराना सोच के तहत धर्म, रंग व नस्ल के भेद भाव के बिना आतंकवाद के दानव का सर कुचलने का प्रबन्ध करे ताकि मानवता रोज़मर्रा की इस रूहफर्सा (तबाहकुन) मुसीबत से निजात पा सके और विश्व स्तर पर शान्तिपूर्ण नागरिकों के जान व माल सुरक्षित रह सकें। सम्माननीय अमीर ने अपनी प्रेस रिलीज़ में निर्दोष जानों के जाने पर सख़्त रंज व ग़म का इज़हार किया और हलाक होने वालों के पसमांदगान के साथ शोक व्यक्त किया और प्रभावितों से हमदर्दी का इज़हार किया है।

जारी कर्ता
मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस
हिन्द

पाप की सज़ा

इमाम इब्ने क़ैइम अलज़ौज़ी रह०

पाप की एक सज़ा यह भी है कि बन्दा अल्लाह की नेमतों से वंचित हो जाता है और अल्लाह की नाराज़गी में लिप्त हो जाता है। किसी बन्दे से जब कोई नेमत छीन ली जाती है या वह किसी मुसीबत और अज़ाब में गिरफतार हो जाता है तो इसका सबब इन्सान की नाफरमानी और पाप होते हैं।

हज़रत अली रज़िअल्लाहो तआला अन्हो फरमाते हैं: ''जो मुसीबत नाज़िल होती है, गुनाहों की वजह से नाज़िल होती है और जो मुसीबत दूर होती है तौबा की वजह से दूर होती है''

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वह तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है और वह तो बहुत सी बातों से दरगुज़र फरमा लेता है'' (सूरे शूरा सूरे न०४२ आयत-३०)

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है:

''यह इसलिये कि अल्लाह तआला ऐसा नहीं कि किसी क़ौम पर कोई नेमत इंआम फरमा कर फिर बदल दे जब तक कि वह खुद अपनी हालत को न बदल दें जो कि उनकी अपनी थी'' (सूरे अंफाल-३५)

इस आयत में अल्लाह तआला यह खबर दे रहा है कि वह जिस क़ौम या जिस शख्स पर इंआम करता है और उसे अपने करूणा से सम्मानित करता है उसे उस वक़्त तक इस नेमत से महरूम नहीं करता जब तक वह खुद अपने आप को महरूमी का हक़दार और पात्र न बला ले। बन्दा जब गलत राह पर चल पड़ता है और अल्लाह का आज्ञापालन के बजाए पाप और शुक्रगुज़ारी एवं कृतज्ञता की जगह नेमतों की नाशुकरी करने लगता है, अल्लाह की रिज़ामन्दी के बजाए उसकी नाराजी का सबब बन जाता है तो अल्लाह तआला भी उससे अपनी नेमतों को छीन लेता है और उसे अज़ाब में लिप्त कर देता है। उसे कुकर्मों और बदआमाली की सज़ा ठीक ठीक दी जाती है जैसी करनी वैसी भरनी। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''तुम्हारा परवरदिगार बन्दों के हक़ में ज़ालिम नहीं है''। बन्दा अगर आज्ञापालन व फरमाबरदारी को अवज्ञा और पाप में परिवर्तित कर देता है तो अल्लाह तआला भी भलाई व सुख को सज़ा व अज़ाब से और इज़्ज़त को ज़िल्लत में बदला देता है कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''किसी क़ौम की हालत अल्लाह तआला नहीं बदलता जब तक कि वह खुद उसे न बदलें जो उनके दिलों में है, अल्लाह तआला जब किसी क़ौम को सज़ा का इरादा कर लेता है तो वह बदला नहीं करता और सिवाए उसके कोई भी उनका कारसाज़ नहीं है''।

किसी अरबी कवि ने क्या खूब कहा है: अर्थ ''जब तुम्हें कोई नेमत हासिल हो तो इसकी रिआयत यानी क़द्र करो क्योंकि पाप नेमत को ख़तम कर देते हैं, अल्लाह के आज्ञापालन से पाप को झाड़ दो,

बन्दों पर जुल्म करने से बचो, क्योंकि जुल्म करना बहुत भारी बोझा (पाप) है। अपने दिल से दुनिया की यात्रा करो ताकि अत्याचार करने वालों के अंजाम का पता चल सके, ज़ालिमों के यह मकानात उनके मरने के बाद उनके ख़िलाफ़ गवाही देते हैं और तुम इन्हें झुठला नहीं सकते, उनके हक़ में अत्याचार से अधिक हानिकारक कोई चीज़ न थी, इसी अत्याचार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, उन लोगों (ज़ालिमों) ने कितने ही बाग और कितने ही महल छोड़े और खुद उन (ज़ालिमों) पर मलबों के ढेर लग गये, मरने के बाद सीध ो नरक में चले गये और सारी नेमतें खतम हो गईं और जो कुछ उन्हें दुनिया में मिला था स्वपन बन कर रह गया।

पाप करने वाला हज़रत मुहम्मद स०अ०व० और फरिश्तों की दुआ से वंचित हो जाता है। अल्लाह ने हज़रत मुहम्मद स०अ०व० को हुम दिया है कि ईमान वाले मर्दों और औरतों के हक़ में क्षमायाचना (इस्तेग्फार) करते रहें। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

अर्श के उठाने वाले और उसके आस पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिये क्षमायाचना (इस्तेगफार) करते हैं, कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और ज्ञान से घेर रखा है, पस तू उन्हें बख्श दे जो तोबा करें और तेरी राह की पैरवी करें और तू उन्हें नरक (दोज़ख) के अज़ाब से भी बचा ले। ऐ हमारे रब! तू उन्हें हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने उनसे वादा किया है और उनके बाप दादों और बीवियों और औलादों में से भी उन सब को जो नेक अमल हैं यकीनन तू तो गालिब व बाहिकमत है उन्हें बुराइयों से भी महफूज रख'' (सूरे मोमिन ७-९)

फरिश्तों की यह दुआ ईमान वालों के लिए है जो उपर्युक्त विशेषताओं वाले हों और कुरआन व हदीस पर अमल करें।

जब गुनाहों की अधिकता हो जाती है तो पापी के दिल पर मुहर लग जाती है और वह ग़ाफिल व बेखबर हो कर रह जाता है जैसा कि सलफ में से बाज इस आयत ''नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनही के करतूत से जंग बैठ गये हैं'' की व्याख्या में लिखते हैं कि इस आयत के शब्द ''रान'' का अर्थ निरन्तर पाप है। हसन बसरी के नज़दीक इसका मतलब यह है कि निरन्तर पाप करता रहा यहां तक कि दिल अंधा हो कर रह गया।

बाज़ ओलमा कहते हैं कि गुनाहों की भरमार हो जाए तो वह दिलों को घेर लेते हैं। इस बारे में असल बात यह है कि पाप से दिल जंग आलूद हो जाते हैं जबकि पाप की भरमार हो जाती है तो दिल का बड़ा हिस्सा जंग ग्रस्त हो जाता है फिर जब पाप और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यह इन्सान का स्वभाव और आदत बन जाता है, फिर दिल पर ताला लग जाता है और धीरे धीरे पापी का दिल गिलाफों और पर्दों में छिप जाता है। पाप और गुनाह की यह कैफियत मार्गदर्शन और रहनुमाई के बाद हो तो मामला बिलकुल दरहम बरहम हो जाता है। इन्सान का दुश्मन पाप जब उस पर भारी पड़ जाता है तो यह इन्सान को जहां चाहता है, हँकाए फिरता है। (अल जवाबुल काफी लिमन-स-अ-ल-अनिद दवाइश्शाफी'' से साभार

सारांश यह है पुण्य का परिणाम अच्छा होता है और पाप का अंजाम हमेशा बुरा होता है।

❑❑❑

कौन लोग ज़कात के हक़दार हैं?

शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रह०

ज़कात अल्लाह तआला का हक़ है। इसमें से जो इसका हक़दार न हो उसे देना जायज़ नहीं और न ही निजी लाभ उठाने के लिये इसका इस्तेमाल जाइज़ है, इसी प्रकार किसी घाटे को पूरा करने के लिये भी इसका इस्तेमाल जाइज़ नहीं। बल्कि एक मुसलमान पर फर्ज़ है कि वह अपनी ज़कात की रकम ज़कात के हक़दारों पर इसलिये ख़र्च करे कि वह उसके हक़दार हैं। इस ज़कात को अदा करने के पीछे किसी लाभ की आशा नहीं करनी चाहिये ताकि यह फर्ज़ बेहतर तौर पर अंजाम पाये और ज़कात देने वाला अल्लाह तआला के निकट बेहतरीन बदले का हक़दार ठहरे।

अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में ज़कात के हक़दारों का बयान फरमा दिया है। अल्लाह तआला ने फरमायाः

“सदक़ा-ज़कात, केवल फ़कीरों के लिये हैं और मिसकीनों के लिये, और उनकी वसूली करने वालों के लिये, और उनके लिये जिनके दिल को नर्म करना उददेश्य हो, और गर्दन छुड़ाने, क़र्ज़दारों की मदद करने, अल्लाह की राह में ख़र्च करने और मुसाफिरों के लिये है। यह एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ़ से। और अल्लाह ज़्यादा जानने वाला, हिक्मत वाला है।” (सूरह तौबा-६०)

इस आयत को अल्लाह तआला के “अलीम” (जानने वाला) और हकीम (हिक्मत वाला) इन दो नामों के साथ खत्म किये जाने से इस बात की तरफ इशारा करना है कि अल्लाह तआला अपने बंदों के हालात की पूरी जानकारी रखता है। वह भली भांति जानता है कि उनमें कौन सदक़ा का हक़दार है और कौन नहीं है और वह अपने बनाये हुए कानून और तै किये हुये तकदीर में बहुत ज्यादा हिक्मत से काम लेता है। वह हर वस्तु को उसके उचित स्थान पर रखता है, अर्गचे कुछ लोग उस हिक्मत को न समझ सकें। उसका हर काम हिक्मत से भरा होता है ताकि उसके बन्दे उसकी शरीअत से मुतमइन रहें और उसके हुक्म के सामने अपनी गर्दनें झुका दें।

अल्लाह तआला हम तमाम मुसलमानों को दीन की समझ, मामलात को सुलझाने और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की तौफीक़ अता फरमाये और अपने गजब और नाराज़गी से बचाये रखे, वह अधिक सुनने वाला और बहुत करीम है।

सोने और चांदी के ज़ेवरों में ज़कात

बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि-अम्मा बाद!

सोने और चांदी के आभूषणों में ज़कात और उसके दलाइल के बारे में लोगों ने बहुत अधिक प्रश्न किया है। लोगों के लाभ उठाने के लिये मैंने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया है। जो नीचे दर्ज है। अल्लाह ही नेक कामों की तौफीक़ देने वाला और सीधी राह की रहनुमाई करने वाला है।

सोने-चांदी के ज़ेवरात (आभूषण) में ज़कात की अदायगी का मस्अला उन मसाइल में से है जिनमें सहाबा और उनके बाद के उलमा के दर्मियान इख़्तिलाफ़ रहा है। कुरआन व सुन्नत का हुक्म है कि जिस मसअले में लोगों का आपस

में इख़्तिलाफ हो जाये, उस को में अल्लाह की किताब और नबी स० की सुन्नत की तरफ़ लौटा जाये। अल्लाह तआला का फ़र्मान हैः

''ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअ़त करो और उसके रसूल की इताअत करो और तुम में से इक़्तिदार वालों की। फिर अगर किसी मस्अले में तुम्हारा इख्तिलाफ़ हो जाये तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ लौटा दो, अगर तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो। इसी में भलाई है और इसका अन्जाम भी बेहतर है।'' (सूरः निसा-५९)

जब हम कुरआन हदीस की रोशनी में इस मस्अले पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि यह दोनों (कुरआन-हदीस) स्पष्ट रूप से महिलाओं के सोने, चांदी के ज़ेवरों में ज़कात के वाजिब होने का हुकम देते हैं, चाहे वह ज़ेवर निजी प्रयोग के लिये हो, या लोगों के मुफ्त प्रयोग के लिये। चाहे वह कंगन या अंगूठी, या इनके अलावा सोने और चांदी के बने हुए दूसरे ज़ेवरात हों। इसी प्रकार सोने और चांदी के बने हुए दूसरे ज़ेवरात हों। इसी प्रकार सोने और चांदी की मिलावट से बने हुए तलवार और खंजर का भी यही हुकम है। यानी अगर उसमें प्रयोग किया गया सोना या चांदी निसाब को पहुंच जाये या उसके मालिक के पास मौजूद सोना या चांदी, या तिजारत के लिये सामान मजमूई तौर पर निसाब को पहुंच जाये (तो इन सब में भी ज़कात फ़र्ज़ है) इस मसअला में उलमा के अक़्वाल में ज्यादा सहीह क़ौल यही है (जो ऊपर बयान हुआ) इसकी दलील कुरआन मजीद की यह आयतें हैंः

''और जो लोग सोना और चांदी को जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते हैं तो आप उन्हें दुख दाई दन्ड की सूचना दे दीजिये। जिस दिन उसे जहन्नम की आग में गर्म किया जायेगा, फिर उससे उनकी पेशानी, उनके पहलू और पीठ को दाग़ा जायेगा और उनसे कहा जायेगा यही है वह माल जो तुमने अपने लिये जमा किया था, तो चखो उसका मज़ा जो तुम जमा करते थे।'' (सूरः तौबा-३४,३५)

अहादीस से भी यही साबित है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ़ की सहीह रिवायत में है कि रसूल स० ने फरमायाः

''जो शख्स अपने सोना, चांदी की ज़कात नहीं देता है उसके लिये क़ियामत के दिन जहन्नम के आग की तख्तियां बनाई जायेंगी, फिर उनसे उसका पहलू पेशानी और पीठ दाग़ी जायेंगी, जब भी वह तख़्तियां ठन्डी होंगी उन्हें पुनः गर्म किया जायेगा, एक ऐसे दिन में जिस की मात्रा पचास हज़ार वर्ष होगी, फिर उसे उसका रास्ता या तो जन्नत या जहन्नम की तरफ़ कर दिया जायेगा''।

कुरआन व अहादीस की यह दोनों दलीलें सोने और चांदी की चीज़ों पर ज़कात के वाजिब होने पर दलालत करती हैं और इनमें से सोने चांदी के ज़ेवर (चाहे जिस काम के लिये हों) भी दाख़िल हैं। अगर कोई शख़्स इनमें से कुछ चीज़ों को ज़कात से अलग करता है तो उसके लिये आवश्यक हैं कि इसकी कोई दलील पेश करे। और यह उस सूरत में जबकि इस मस्अला के मुतअल्लिक़ इस उमूम के अलावा कोई दलील न होती, लेकिन यहां तो बहुत सारी सहीह हदीसें मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि सोने-चांदी के ज़ेवरात पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। चुनांचे अबू दावूद और नसई ने सहीह सनद के साथ अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आ़स रज़ि० से रिवायत है किः

''नबी करीम स० के पास एक महिला आई, उसकी लड़की के हाथ में सोने के दो कंगन थे। आप स० ने उससे पूछाः क्या तुम इनकी

ज़कात देती हो? उसने कहा कि नहीं। आप स० ने फरमायाः क्या तुम्हें पसंद है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला तुम्हें इन दोनों कंगनों के बदले आग के दो कंगन पहनाये? यह सुन कर उसने उन दोनों कंगनों को ज़मीन पर डाल दिया और कहाः ''यह दोनों अल्लाह और रसूल के लिये हैं।'' (अबूदावूद, नसई-हाफिज़ इब्ने क़त्तान ने इसकी सनद को सहीह कहा है)

एक दूसरी हदीस में अबू दावूद ने जय्यिद सनद के साथ उम्मे सलमा रजि० से रिवायत की है कि वह सोने के पाज़ेब पहना करती थीं। उन्होंने नबी करीम स० से पूछा कि क्या यह भी ''कन्ज़'' (ख़ज़ाना) में दाख़िल है? आप स० ने फरमायाः

''हर वह सोना जो निसाब को पहुंच जाये और उसकी ज़कात अदा कर दी जाये तो वह कन्ज़ (ख़ज़ाना) नहीं कहलायेगा।''

इस हदीस में दो बड़े फ़ाइदे हैंः

पहला फ़ाइदाः निसाब की शर्त यानी इससे यह साबित होता है कि जो सोना चांदी निसाब को नहीं पहुंचेगा उसमें ज़कात वाजिब नहीं हैं, और न ही उसका शुमार उस ख़ज़ाना में होगा जिसके बारे में सख़्त धमकी दी गयी है।

दूसरा फाइदाः दूसरा फाइदा यह है कि हर वह माल जिस में ज़कात वाजिब हो जाये और उसकी ज़कात न दी जाये उसका शुमार उस ख़ज़ाना पर होगा जिसके बारे में अज़ाब की सज़ा सुनायी गयी है।

तीसरा फ़ाइदाः इसमें एक तीसरा फाइदा यह भी है जो हदीस के ज़िक्र करने का मक़सद है, यानी यह हदीस सोने-चांदी के ज़ेवरात में ज़कात के वाजिब होने पर दलालत करती है जिसके बारे में उम्मे सलमा रजि० ने आप स० से प्रश्न किया था।

सुनन अबू दावूद की एक दूसरी रिवायत से जो आइशा रजि० से मर्वी है उससे भी यही साबित होता है किः

नबी करीम स० ने मुझे चांदी के कुछ छल्ले पहने हुये देखा तो आप स० ने पूछाः ऐ आइशा यह क्या है? मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इन्हें इस वास्ते बनवाया है ताकि आप के लिये खूबसूरत बन सकूं। आप स० ने पूछा कि क्या तुम इसकी ज़कात निकालती हो? मैंने कहा कि नहीं। आप स० ने फ़रमायाः वह जहन्नम की आग में से तुम्हारा हिस्सा है।''

ऊपर बयान की गयी हदीसों से साबित होता है कि सोने-चांदी के ज़ेवरों में ज़कात वाजिब है, ज़ेवरों में ज़कात वाजिब है, वह ज़ेवर चाहे निजी प्रयोग के लिये हों, या लोगों के मुफ्त इस्तेमाल के लिये, क्योंकि नबी करीम स० ने आइशा रजि० और अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० की हदीस में (जो ऊपर गुजर चुकी हैं) उस औरत पर नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि उसने अपने निजी इस्तेमाल किये जाने वाले ज़ेवरात की ज़कात नहीं दी थी, और आप स० ने किसी प्रकार के ज़ेवर को ज़कात से अलग नहीं किया, इसलिये नस्से सहीह (सहीह दलील) और उससे निकलने वाले आम हुक्म पर अमल करना वाजिब हुआ, क्योंकि नुसूस की तखसीस इस सूरत में जाइज़ है जबकि उसकी तखसीस की कोई सहीह दलील मौजूद हो। रही वह हदीस जिसमें आप स० ने फरमायाः

''ज़ेवरात में ज़कात नहीं है''

तो यह हदीस जईफ है इसलिये इस हदीस से दलील और हुज्जत पकड़ना जाइज़ नहीं, है, और न ही यह हदीस इस काबिल है कि इसके जरीआ ऊपर बयान की गयी हदीस को खास किया जाये। हाफिज़ बैहक़ी ने तो कहा है कि हदीस बातिल है और इसकी कोई अस्ल नहीं है। हाफिज़ जैलई ने नसबुर्रायह में और हाफिज़ इब्ने हजर ने तलखीस में उनका यह कौल नकल किया है।

❑❑❑

एलाने दाख़िला

(मदारिस से फ़ारिग़ तलबा के लिए)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जेरे एहतमाम अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में स्थापित उच्च शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्था

अलमाहदुल आली लित तखस्सुस फिद दिरासातिल इस्लामी में नये तालीमी कलैण्डर के अनुसार इस साल नये सत्र के लिये एडमीशन शनिवार 15 जून से सोमवार 17 जून 2019 तक लिया जायेगा। अपना अनुरोध पत्र व सनद की फोटो कापी इस पते पर भेजें। आवेदन पत्र मिलने की आखिरी तारीख 9 जून 2019 है।

नोटः- हर क्षात्र को हर महीने वज़ीफा दिया जायेगा।

अधिकृत जानकारी के लिये संपर्क करें।

अहले हदीस कम्पलैक्स डी.254 अबुल फजल इन्कलेव

जामिया नगर, ओखला, दिल्ली-110025

फोन 011-26946205 , 011-23273407

Mob. 9213172981, 09560841844

शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

फितनों से सुरक्षित रहने के सिद्धांत

❑ लेखकः शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अल्बदर अनुवादः अब्दुल मन्नान शिकरावी

हज़रत मिक़दाद बिन असूवद रज़िअल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः भाग्यशाली वह है जो फितनों (आज़माइशों और गुमराहियों) से बचा दिया गया। (अबू दाऊद)

अपने और अन्य लोगों के लिये भलाई और शुभचिंतन का तक़ाज़ा यह है कि अल्लाह के बन्दों को फितनों से बचाया जाये। फितनों से दूर रहने की कोशिश और उनसे छुटकारा पाने का प्रयास किया जाए। निम्न सतरों में कुछ बिन्दुओं, महत्वपूर्ण बातों और सिद्धांतों से अवगत करा रहा हूं जिन पर अमल करके फितनों से इन्सान छुटकारा हासिल कर सकता है।

फितनों और उनके नुकसानात से बचने के लिये सबसे अहम चीज़ अल्लाह का तक़वा अर्थात अल्लाह से भय है। इन्सान हर जगह अल्लाह से डरता रहे। क़ुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''जो अल्लाह से डरता है अल्लाह तआला उसके छुटकारे की शकल (उपाय) निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता है''। (सूरे तलाक़-२-३)

कुरआन में दूसरी जगह अल्लाह तआला फरमाता है कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह तआला ''उसके हर काम में आसानी कर देगा'' (सूरे तलाक-४) यानी अल्लाह तआला फितना व मुसीबत से बचने का रास्ता निकाल देगा।

ताबईन के ज़माने में जब फितनों का ज़ोर बढ़ा तो शुभचिंतकों का एक प्रतिनिधिमण्डल हज़रत तलक़ बिन हबीब रह० के पास आया और कहा कि फितनों का दौर दौरा है हम इनसे कैसे सुरक्षित रहें? उन्होंने फरमायाः तक़वा और परहेज़गारी के ज़रिए बचो। लोगों ने पूछा कि तक़वा का अर्थ बता दीजिए फरमायाः अल्लाह के तक़वा का अर्थ यह है कि अल्लाह के आदेशों के अनुसार उसके अज़ाब के डर से उसकी नाफरमानी से बचना, और जिन कामों से अल्लाह खुश होता है उनके द्वारा उसका सामीप्त (तक़र्रुब) हासिल करना ख़ास तौर से फराइज़ और वाजिबात पर अमल करना और पाप से दूर रहा जाए जो ऐसा करेगा उसका अंजाम भला और अच्छा होगा।

फितनों से बचने का एक तरीक़ा यह भी है कि कुरआन व हदीस की शिक्षाओं पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए क्योंकि कुरआन व हदीस को मज़बूती से थामना दुनिया व आख़िरत में निजात का रास्ता है। इमाम मालिक रहमातुल्लाहि अलैहि ने फरमायाः नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सुन्नत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती (नाव) की तरह है जो इसमें सवार हो गया वह कामयाब हो गया और जिसने इसकी सवारी छोड़ दी वह डूब कर हलाक व बर्बाद हो गया'' जो सुन्नत पर अमल करेगा वह हिकमत और बुद्धिमत्ता ही की बात करेगा फितनों से सुरक्षित रहेगा और उसे दुनिया व आख़िरत की भलाइयां हासिल होंगी।

हज़रत इरबाज़ बिन सारिया बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मेरे बाद जो

जिन्दा रहेगा वह बहुत सा इख्तेलाफ़ देखेगा ऐसी सूरत में तुम्हारे लिये ज़रूरी है कि मेरी सुन्नत और मेरे बाद मेरे हिदायत याफता खुला-फाए राशिदीन के तरीक़े को लाज़िम पकड़े रहना, इसे मज़बूती से थाम लेना और दाढ़ से मज़बूत पकड़ लेना। दीन में नये अविष्कार किये गये कामों से अपने आप को बचाए रखना क्योंकि (सवाब की नियत से किया गया) हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।

फितनों से बचने का एक तरीका नर्मी और संयम है क्योंकि जल्द बाज़ी कभी भी भलाई का माध्यम नहीं बन सकती जबकि नर्मी और संयम में भलाई और बर्कत होती है, वह अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन अंजाम तक पहुंच जायेगा और दुनिया व आख़िरत में भलाई मिलेगी।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़िअल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भलाई की चाबी और ताला बनते हैं जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बुराई की चाबी और भलाई का ताला बन जाते हैं उन लोगों के लिये अच्छाई व खुश्खबरी है जिनके हाथों अल्लाह तआला भलाई के काम करा दे और जिनके हाथों से बुराई के काम अंजाम पायें उनके लिये हिलाकत व बर्बादी है। (इब्ने माजा)

फितनों से बचने का एक तरीक़ा यह है कि इख्तेलाफ और अलग थलग रहने से परहेज़ किया जाये क्योंकि गुटबाज़ी और विखराव बुराई है और सामूहिकता एवं एकता रहमत है। नेकी और परहेज़गारी की बुनियाद पर आपसी सहयोग प्राप्त होता है जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत में सौभाग्य हासिल होता है इसके अतिरिक्त इख्तेलाफात बहुत सी बुराइयों और नुकसानात को जनम देते हैं जिनका अंजाम अच्छा नहीं होता इसी लिये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जमाअत के साथ जुड़े रहने और गुटबाज़ी और बिखराव से बचने का उपदेश दिया है। फरमायाः जमाअत रहमत है जबकि गुटबाज़ी अज़ाब है। फरमाया जमाअत को लाज़िम पकड़ो और गुटबाज़ी से बचो। एक मौक़े पर फरमाया जमाअत पर अल्लाह का हाथ है। एक और मौक़े पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख़्तेलाफ न करो क्योंकि तुम से पहले के लोगों ने इख्तेलाफ किया तो हलाक व बर्बाद हो गए।''

फितनों से सुरक्षित रहने और बुराई से बचने के लिये एक बड़ा उसूल यह है कि विश्वसनीय ओलमा और इमामों की बात की पैरवी की जाए। फितनों से बचने का एक अहम उसूल यह है कि अल्लाह से रिश्ते को जोड़े रहें और उससे दुआ करता रहें क्योंकि दुआ दनिया व आख़िरत की हर भलाई की कुंजी है। अल्लाह अपने हर मांगने वाले बन्दे को नामुराद और निराश नहीं करता। क़ुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है जब मेरे बन्दे मेरे बारे में आप से सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही क़रीब हूं हर पुकारने वाले की पुकारे को जब कभी वह मुझे पुकारे क़ुबूल करता हूं। इसलिये लोगों को भी चाहिए कि वह मेरी बात मान लिया करें और इस पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का कारण है।

हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह अपने बन्दों को गुमराहियों और आजमाइशों से सुरक्षित रखे ईमान की हिफाज़त फरमाये, हर प्रकार की बुराई से बचाए बेशक वह दुआओं का सुनने वाला है।

❑❑❑

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस की कार्य समिति का महत्वपूर्ण सत्र सफलता पूर्वक संपन्न, दाइश और आतंकवाद की कड़ी निन्दा

रिपोर्टः डा० मुहम्मद शीस इदरीस तैमी

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का सत्र ७ अप्रैल २०१९ को अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में मर्कज़ी जमीअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मर्कज़ी जमीअत के प्रतिष्ठित सदस्यों, प्रादेशिक जमीअतों के ज़िम्मेदारान और विशेष आमंत्रित सदस्यों ने शिर्कत की।

मीटिंग में इस मसले पर भी गौर हुआ कि पूरी जमीअत का एक ही कलैण्डर होना चाहिए जिसे मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द प्रकाशित करे। इसी तरह रूयते हिलाल (चांद देखने) के बारे में यह तय पाया कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के एलान के बाद ही जमीअत की निचली इकाइयां रूयते हिलाल का एलान कर सकती हैं ताकि इस हवाले से बिखराव से जमाअत व समुदाय को बचाया जा सके और इस बात की तरफ पर ध्यान आकर्षित कराया गया कि हमारे एदारे अपने तौर पर मज्लिसे ओलमा न बनाएं और मर्कजी जमीअत की प्रतिष्ठित कमीटी के द्वारा इस काम को अंजाम दिया जाए।

सत्र की शुरूआत प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस आंध्राप्रदेश के सचिव मौलाना अब्दुल गनी उमरी की तिलावते कुरआन से ठीक सुबह दस बजे हुई। इस अवसर पर अपने खिताब में मर्कज़ी जमीअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने तमाम हाजिरीन का स्वागत किया और दावत व प्रचार, शिक्षा, संयम, एकता, सदभावना, सांप्रदायिक सौहार्द, इन्सान दोस्ती और इस्लाम की शिक्षाओं को देश बन्धुओं तक पहुंचाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और आतंकवाद एवं दाइश की कड़े शब्दों में निन्दा की। मीटिंग के अन्त में देश, समुदाय और वैश्विक समस्याओं से संबन्धित महत्वपूर्ण करारदाद और प्रस्ताव पारित किये गये जिनका मूल लेख यह हैः

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र इस्लाम के अक़ीद-ए- तौहीद और उसकी खूबियों को पूरी मानवता तक पहुंचाने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। इस्लाम उदारता, अम्न व शान्ति, भाई चारा, राष्ट्रीय सदभावना, समता का झण्डावाहक और मानवतावाद का सन्देशवाहक है। वैश्विक स्तर पर इस्लामी अक़ीदा और शिक्षाओं के बारे में जो बदगुमानियाँ और गलत फहमियां पैदा कर दी गई हैं उनको दूर करने के लिये मुसलमानों को भरपूर प्रयास करना चाहिए वैश्विक स्तर पर नकारात्मक और गुमराहकुन प्रोपैगण्डों के परिप्रेक्ष्य में मानवता को यह बताया जाना चाहिए कि इस्लामी अक़ीदा दया एवं करूणा का वाहक है और वह पूरी इंसानियत

की सफलता की गारन्टी देता है अतः कार्य समिति का यह सत्र मुसलमानों से मौजूदा हालात में अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी तरीके से अदा करने की अपील करता है।

मर्कज़ी जमीअत का यह सत्र अतीत के नाकाम तजरबों और वार्ता की नाकामी के बावजूद बाबरी मस्जिद से संबन्धित उच्चतम न्यायालय की प्रस्तावित मुसालिहत कार (मध्यस्थता) कमेटी के गठन का स्वागत करता है। मर्कज़ी जमीअत का यह सत्र आशा करता है कि उच्चतम न्यायालय हमारी नई पीढ़ी को संबन्धित विवाद से निकालने के लिये कोई ठोस और स्थिर रास्ता निकाले गा इसलिये बयान बाज़ी के बजाए मुसालिहत कारों के प्रयासों और उच्चतम न्यायालय के फैसले का इन्तेज़ार होना चाहिए।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र पिछले दिनों जम्मू व कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला जिससे सीआर पी एफ के ४० से अधिक जवान जा बहक हो गये, इस की सख्त शब्दों में निन्दा करते हुए इसे अत्यंत अफसोसनाक, गैर इन्सानी और कायरतापूर्ण कार्रवाई करार देता है और जां बहक होने वाले जवानों के परिवार से संवेदना व्यक्त करता है इसके अलावा भारत सरकार से मांग करता है कि इस प्रकार की आतंकी कार्रवाइयों के खातमे के लिये प्रभावी इक़दाम करे।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र न्यूजीलैण्ड की दो मस्जिदों में जुमा की नमाज़ के दौरान आतंकी हमले की सख्त निन्दा करता है और इस हमले को मंसूबा बन्द कत्ले आम करार देता है। सत्र का मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता जो भी करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद को धर्म के खानों में बांटना किसी भी तरह उचित नहीं। पश्चिमी मीडिया ने इस वाक़आ की रिपोर्टिंग में जो रवैया अपनाया है उसने उसके दोहरे चरित्र को उजागर और पत्रकारिता के सिद्धांतों को कलंकित कर दिया है। इस हमले के बाद न्यूजीलैण्ड की हुकूमत वहां के जनता विशेष रूप से प्रधानमंत्री जसेन्डा आरडर्न की इन्सानियत नवाज़ी, कर्तव्य परायणता और आपसी भाई चारे की दिल की गहराइयों से प्रशंसा करता है और तथाकथित मानव अधिकार के झण्डावाहकों के लिये एक आदर्श करार देता है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाले आतंकी वाक़आत की सख़्त निन्दा करता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। दाइश की गतिविधियों से इस्लाम और मुसलमानों का कोई संबन्ध नहीं है। मुसलमान दाइश के खिलाफ हैं। दाइश को इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिये खड़ा किया गया है इसलिये इसकी किसी भी आतंकी और असमाजिक कार्रवाई को इस्लाम और मुसमलानों की तरफ संबद्ध करना सरासर नाइन्साफी और हक़ीक़त के खिलाफ़ है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र उन नौजवानों को भरपूर आर्थिक मुआवज़ा देने की मांग करता है जिनको हमारी सम्माननीय अदालतों ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। इसके अलावा उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग करता है जो झूठे आरोप लगा कर नौजवानों को गिरफतार करके उनके भविष्य से खेलवाड़ करते हैं। अधिकांश मुस्लिम नौजवानों का अदालतों से बाइज़्ज़त बरी होना इस बात की स्पष्ट दलील है कि उनका देश विरोधी गतिविधियों से कोई संबन्ध नहीं है

और वह एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से मुल्क व कौम के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अम्न व कानून का संरक्षण हर नागरिक की संयुक्त जिम्मेदारी है। किसी नाखुशगवार वाक़आ की आड़ में किसी विशेष वर्ग को आरोपित ठेहराना किसी भी तरह से दुरूस्त नहीं है। छानबीन करने वाली ऐजेंसियों को किसी भी गैर समाजी और नाखुशगवार वाक़आ की इंकुवाइरी के दायरे को बढ़ाना चाहिए ताकि असल अपराधी पकड़ में आ सकें और अम्न व कानून का बोल बाला हो।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र मिल्ली संगठनों के प्रमुखों से अपील करता है कि वह एक दूसरे के मसलक का सम्मान करते हुए किसी के खिलाफ बयान बाज़ी से परहेज़ करें, यह किसी भी तरह से क़ौम व मिल्लत के हित में नहीं है एक दूसरे को खुद ही आरोपित करना जगहंसाई का कारण और समुदायिक एकता को प्रभावित करता है। ओलमा और राजनीतिक लीडरों को इस सिलसिले में सावधान रहना चाहिए।

लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। मंहगाई, क्रपशन, बेरोज़गारी, गरीबी निरक्षरता इस देश के वासियों की महत्वपूर्ण और संयुक्त समस्याएं हैं। सेहत, शिक्षा और रोज़गार के समान अवसर इस देश के वासियों के संवैधानिक अधिकार हैं जिन को पाने के लिये वोट हमारे लिये प्रभावी माध्यम है। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का यह सत्र उल्लिखित समस्याओं को बुनियाद बना कर अवाम से अपना मताधिकार इस्तेमाल करने की अपील करता है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र सऊदी युवराज शहज़ादा मुहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह के हालिया भारत दौरे का स्वागत करता है और यह आशा करता है कि इससे दोनों देशों के बीच प्राचीन दोस्ताना संबन्ध ा खुश्गवार होंगे और दोनों देशों के साझे से आर्थिक संबन्ध और अम्न व शान्ति को बढ़ावा देने और आतंकवाद जो वक़्त का सबसे बड़ा नासूर है उसके ख़ातमे में दोनों दोस्त देश सक्रिय रोल अदा करेंगे।

राष्ट्रीय सदभावना, भाई चारा, इन्सानी हमदर्दी इस देश की पहचान है। राष्ट्रीय सदभावना ने देश के निर्माण एवं विकास में अहम रोल अदा किया है। अफसोस है कि कुछ लोग एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत आमेज़ (घृणात्मक) बयान से देश की गंगा जमुनी सभ्यता की पहचान और राष्ट्रीय सदभावना को प्रभावित कर रहे हैं ऐसे में हम तमाम देशवासियों और ख़ास तौर से मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह अपनी पत्रकारिता के दायित्व को निभाए। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र मीडिया से ऐसे लोगों के हतोत्साहन (हौसला शिकनी) की अपील करता है जो लोग स्वार्थ और मफाद परस्ती की बुनियाद पर देश में नफरत की बीज बो रहे हैं और आज का यह सत्र हुकूमत से मांग करता है कि सामूहिक हिंसा (मोबलिंचिंग) की रोक थाम के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर पूरी तरह अमल किया जाए और क़ानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाए।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का सत्र इस्राईली हुकूमत की फलस्तीनियों के ख़िलाफ़ आक्रामक कार्रवाई की निन्दा करते हुए विश्व समुदाय से अपील करता है कि वह इस्राईल के अत्याचार से निजात दिलाने के लिये सहयूनी हुकूमत के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करे। उसके अत्याचार का सिलसिला

बढ़ता जा रहा है और मध्यपूर्व में उसकी गैर इन्सानी कार्रवाईयाँ बेचैनी और अशान्ति का कारण बनी हुई हैं। उसके अत्याचार को रोकने के लिये अरब देशों और अन्य इन्साफ पसन्द देशों को ठोस इक़दामात करने होंगे ताकि मध्यपूर्व में अम्न व शान्ति काइम हो और विकास की राह प्रशस्त हो।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र बटला हाउस इनकाउन्टर सहित देश के अन्य भागों में होने वाले इन्काउन्टरों की छानबीन की मांग को दोहराता है और उन कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता है जो अपनी कामयाबी या मुल्क व कौम दुश्मन तत्वों के इशारे पर इस तरह की घिनावनी साज़िश का इरतिकाब करते हैं।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को जल्द से जल्द लागू करने की मांग करता है। कार्य सीमित का मानना है कि राजनीतिक, समाजी और शैक्षणिक एतबार से अल्पसंख्यक पीछे रह गये हैं इन सिफारिशात को लागू करने से उनका पिछड़ापन दूर और शैक्षणिक आर्थिक और समाजी विकास से सुसज्जित किया जा सकता है इसलिये इसमें हुकूमत की और ज़्यादा देरी क़ौम व मिल्लत के हित में नहीं है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के अल्पसंख्यक चरित्र की बहाली से संबन्धित हुकूमत के मोकिफ पर चिंता व्यक्त करता है और इसे अल्पसंख्यक विरोधी क़रार देता है और हुकूमत से मांग करता है कि वह यूनीवर्सिटी के अल्पसंख्यक चरित्र को बाक़ी रखने में सहयोग करे और किसी प्रकार की अड़चन न डाले इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक चरित्र से संबन्धित किसी भी तरह का कोई संशोधन और परिवर्तन न किया जाए।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र महिलाओं के शोषण और उनको प्रताड़ित करने की विभिन्न सूरतों दहेज, वरासत से वंचित करना, भ्रूण हत्या और अन्य समाजी बुराइयों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकारों और हर खास व आम से अपील करता है कि वह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाएं ताकि संसार का प्राकृतिक संतुलन बाक़ी रहे। इसके अलावा शराब व अन्य मादक पदार्थ पर सरकार पाबन्दी लगाए। इसी तरह पर्यावरण की बिगड़ती सूरतेहाल पूरी इन्सानियत के लिये ख़तरा बनी हुई है। कार्य समिति का यह सत्र पूरी दुनिया की सरकारों और उनके प्रमुखों से अपील करता है कि वह पर्यावरण के संरक्षण के लिये अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं ताकि दुनिया का पर्यावरण संतुलन बाकी रहे और पूरी मानवता प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से छुटकारा पा सके।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र अल्लामा अबू बक्र जाबिर अल जज़ाइरी, जामे मस्जिद भोपाल के इमाम व खतीब वली मुहम्मद रहमानी बस्तवी, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस पंजाब के अमीर डा० अब्दुद दैयान अंसारी, मदर्सा अहमदिया सलफिया आरा के महा सचिव जनाब जियाउल हसन, कानपुर की प्रसिद्ध दीनी व समाजी शख्सियत जनाब उजैर अहमद नेता, जामिया इस्लामिया इस्लाहुल मोमिनीन मालदा के शैखुल हदीस और मौलाना सज्जाद हुसैन के समधी मौलाना मुश्ताक

अहमद क़ासिमी, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस की कार्य समिति के सदस्य हाजी कमरूददीन के नौ जवान लड़के मुहम्मद खालिद, बृन्दाबन पाश्चिमी चम्पारन के हाफ़िज़ अनवारूल हक़, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस दिल्ली के पूर्व सचिव जनाब अबू राइद मेहताब, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस हरयाणा के पूर्व नायब अमीर मौलाना हकीम मुहम्मद इलयास सलफी की बीवी, प्रसिद्ध डा० हबीबुर्रहमान कासिमी, कोषाध्यक्ष हाजी वकील परवेज़ की बड़ी बहन, प्रसिद्ध आलिमे दीन वरिष्ठ अध्यापक मौलाना डा० जलालुददीन रहमानी, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस आंध्रा प्रदेश के अमीर डा० सईद अहम उमरी की बहन, मौलाना नुरूल हुदा मदनी के पिता मुहम्मद इलयास, मऊ के एक मुख्लिस व जमाअत के हममर्द जनाब अब्दुर्रहमान साहब (मौलाना इकबाल अहमद मुहम्मदी के भाई) मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के सरपरस्त पूर्व नायब अमीर और जमीअतुल ओलमा केराला के अमीर मौलाना मुहीउददीन उमरी, जमीअत अहले हदीस सिरसा कर्नाटक के पूर्व अमीर और प्रसिद्ध दीनी व समाजी शख्सियत जनाब अब्दुल करीम सौदागर, मौलाना असरारूल हक़ कासिमी पूर्व एम.पी. वग़ैरह के इन्तेक़ाल पर गहरे रंज व ग़म का इज़हार करता है और दुआ करता है कि अल्लाह उनकी मग़्फिरत करे। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके पसमांदगान को सबरे जमील की क्षमता दे। आमीन

❑❑❑

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के लिए

ईदाना फण्ड जमा करना हरगिज़ न भूलें

ईद की खुशी के मौक़े पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस को न भूलें। जिस तरह आप ईद के मौक़े पर अपने बच्चों को ईदी दे कर उनकी खुशियों को बढ़ाते हैं उसी तरह मर्कज़ी जमीअत को ईदाना फन्ड देना न भूलें। सुबाई, ज़िलई और मकामी जमीअत और मदर्सों के ज़िम्मेदारान और इमामों से अपील है कि मस्जिदों और ईदगाहों में जमीअत के लिये ज़रूर अपील करें और जो रक़म मर्कज़ी जमीअत के लिये प्राप्त हो उसको चेक या ड्राफ्ट के द्वारा जमीअत को भेज दें ताकि आप का ईदाना फन्ड जमीअत व जमाअत के महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने में अहम रोल अदा कर सके।

चेक या ड्राफ्ट इस नाम से बनवायें।

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

चेक या ड्राफ्ट भेजने का पताः-

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-6

011-23273407 Fax 011-23246613

ईदैन के अहकाम और मसाइल

अब्दुल वली, हाइत सऊदी अरब

ओलमा के उत्तम कथन के अनुसार ईदैन की नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द पर वाजिब है। क्योंकि कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''अपने रब के लिये नमाज़ पढ़िये और कुरबानी की जिये'' (सूरे कौसर)

अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईद की पहली नमाज सन २ हिजरी में अदा की थी फिर जीवन भर इसको अदा करते रहे आपके बाद आपके खलीफा का भी यह तरीका रहा बल्कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह ले जाने का हुक्म दिया।

उम्मे अतिय्या रजिअल्लाहो अन्हा बयान करती हैं कि ईशदूत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम औरतों को ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा में ईदगाह ले जायें। जवान लड़कियों, हैज वाली औरतों, पर्दा वाली औरतें को भी, लेकिन हैज वाली नमाज़ से अलग रहें और मुसलमानों की दुआ में शामिल हों।

उम्मे अतिय्या रजिअल्लाहो अन्हा कहती हैं कि मैंने पूछा ऐ अल्लाह के सन्देष्टा हममें से किसी के पास चादर नहीं होती, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी बहन उसको अपनी चादर उढ़ा दे। (बुखारी अल ईदैन ८६०, तिर्मिज़ी अलईदैन ५३६)

ईदैन की नमाज़ ईदगाह में अदा करना मसनून है। अबू सईद खुदरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल अजहा और ईदुल फित्र के दिन ईदगाह निकलते थे ईदगाह पहुंच कर सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ते थे (बुखारी अलईदैन ८८६)

ईदैन की नमाज से पहले अजान इकामत नहीं है। जाबिर बिन समुरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज़ एक दोबार नहीं बल्कि कई बार बिना अजान और इकामत के पढ़ी है। (मुस्लिम ८८७)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजिअल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि ईदुल फित्र और ईदल अजहा के दिन (अल्लाह के रसूल के जमाने में) अज़ान नहीं दी जाती थी (बुखारी, अल ईदैन ६६०, मुस्लिम, सलातुल ईदैन ८८६)

ईद की नमाज़ केवल दो रकात है पहले और बाद में कोई सुन्नत नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन निकले आपने दो रकात नमाज़ पढ़ाई, आपने पहले और बाद में कोई नमाज़ नहीं पढ़ी और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रजिअल्लाहो अन्हो भी थे। (बुखारी ईदैन ८८४)

ईदैन की नमाज़ दो रकात है जिसकी पहली रकात में तकबीरे तहरीमा और दुआ-ए-सना के बाद सात जायद तकबीरें कही जायें और

दूसरी रकात में खड़े होने के बाद पांच जायद तकबीर कहीं जायें। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईदुल फित्र में पहली रकात में सात तकबीरें और दूसरी रकात में पांच तकबीरें हैं और केरात दोनों रकातों की तकबीरों के बाद है। (अबू दाऊद, अस्सलात ११५१ तिर्मिज़ी, अल जुमा ५३६, अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को हसन कहा है, सहीह अबू दाऊद ३१५)

नाफे रह० बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरह रजिअल्लाहो अन्हो की इकतेदा में ईदुल अजहा और ईदुल फित्र अदा की तो उन्होंने पहली रकात में केरात से पहले सात तकबीरें और दूसरी रकात में केरात से पहले पांच तकबीरें कहीं (मुवत्ता इमाम मालिक अल ईदैन बाब मा जाआ फित तकबीर, वल केरात फिल ईदैन)

जब ईद और जुमा दोनों एक दिन में जमा हो जायें तो मुसलमान आम दस्तूर के अनुसार नमाज़ अदा करेंगे लेकिन उन्हें जुमा की नमाज के बारे में अधिकार हो गा कि वह चाहें तो जुमा अदा करें और चाहें तो उसमें शरीक न हों अयास बिन अबू रमला शामी बयान करते हैं कि मेरी मौजूदगी में मुआविया बिन अबू सुफियान रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने जैद बिन अरकम रजिअल्लाहो से यह सवाल किया क्या आपने अल्लाह के रसूल के साथ दो ईदों (ईदुल फित्र या ईदुल अजहा और जुमा) को एक दिन में जमा होते देखा है? उन्होंने जवाब में कहा हां। मुआविया रजिअल्लाहो ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस अवसर पर क्या किया? उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई और जुमा के बारे में रूखसत दी और फरमाया जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। (अबू दाऊद १०७०, दारमी १/४५६), अल्लामा अल्बानी ने इसकी सनद को सहीह कहा है। (सहीह अबू दाऊद १/१६६)

अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में दो ईद ईदुल फित्र या ईदुल अजहा और जुमा एक दिन में जमा हो गयीं आप ने लोगों को ईद की नमाज़ पढ़ाई फिर फरमाया जो जुमा में आना चाहे वह आये और जो न आना चाहे वह न आये। (इब्ने माजा १३१२, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है, देखिए इब्ने माजा १/२२०)

ईदैन के दिन नहाना, खुश्बू इस्तेमाल करना मुस्तहब है। ईदैन के दिन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से कोई हदीस साबित नहीं, सहाबा किराम रजिअल्लाहो तआला अन्हों का अमल है, अहले इल्म (ओलमा) की एक जमाअत के नजदीक यह गुस्ल जुमा के गुस्ल पर क्यास करते हुये मुस्तहब है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन इस जुमा के दिन को अल्लाह ने मुसलमानों के लिये ईद बनाया है इसलिये जो शख्स जुमा के लिये आये, उसको चाहिये कि गुस्ल करे और अगर खुश्बू उपलब्ध ा हो तो उसको इस्तेमाल करे और तुम अपने ऊपर मिस्वाक को लाजिम कर लो (इब्ने माजा १०८५, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है, देखिये सहीह सुनन इब्ने माजा १/१८१)

इमाम मालिक रह० ने नाफे से रिवायत नकल की है अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हुमा ईदुल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे (मुवत्ता इमाम मालिक, ह० २ मुसनद शाफई १/७३ ह० ३१८ मुसन्नफ

अब्दुर्रज्जाक ३/३०६)

अल्लामा अल्बानी फरमाते हैं कि ईदैन का गुस्ल मुस्तहब होने पर सबसे अच्छी दलील सुनन बैहकी ३/२७८ की रिवायत है कि अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने कहा जुमा, अरफा, ईदुल अजहा और ईदुल फित्र के दिन गुस्ल करना चाहिये (इरवाउल गलील १/१७६ इस हदीस की सनद सहीह है)

ईद के लिये अच्छा कपड़ा पहन कर जाना मुस्तहब है।

अल्लामा इब्ने कैइम रह० फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदैन के अवसर पर खूबसूरत तरीन कपड़े पहनते थे। (जादुल मआद १/४२५)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत के अनुसार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईद के दिन लाल धारियों वाली चादर पहनते थे (अल मोअजमुल अवसत ७/३१६ अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को हसन कहा है, देखिये सिलसिलातुल अहादीसिस्सहीहा ३/२७४

सुन्नत यह है कि ईदुल फित्र में ताक खुजूरें खाकर ईदगाह निकला जाये और ईदुल अजहा में बगैर कुछ खाये निकला जाये और ईदगाह से आने के बाद अपनी कुर्बानी से कुछ खाये।

अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल फित्र के दिन ताक खुजूरें खाये बगैर नहीं निकलते थे। (बुखारी ९५३, इब्ने माजा १७५४, इब्ने खुजैमा १४२६)

बुरैदा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईदुल अजहा के दिन नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ न खाते थे और मुस्नद अहमद में इतने शब्द ज्यादा हैं कि आप अपनी कुर्बानी का गोश्त खाते थे। (तिर्मिज़ी ५४२, अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीह कहा है, देखिये सहीह तिर्मिज़ी १/३०२)

सअ्द रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ईद के लिये पैदल चल कर जाते थे और पैदल वापस आते थे। (इब्ने माजा १२९४, अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा, देखिये सहीह इब्ने माजा १/२१७)

मर्दों को तकबीरात पुकारते हुये ईदगाह जाना चाहिये।

जोहरी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईदुल फित्र के दिन तकबीर कहते रहते यहां तक कि नमाज़ अदा कर लेते, जब नमाज़ अदा कर लेते तो तकबीरें कहना बन्द कर देते (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा १/४८७) अल्लामा अलबानी ने इसकी सनद को सहीह कहा, सिलसिलातुल अहादीसिस्सहीहा १/३२९, ह० १७१)

औरतें भी तकबीर पुकारें लेकिन अपनी आवाज़ को पस्त रखें ताकि मर्द न सुनें।

उम्मे अतिय्या बयान करती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था कि हम ईद के दिन अपने घरों से निकलें यहां तक कि कुवांरी लड़कियों को भी बाहर निकालें और हाइजा औरतों को भी निकालें, लेकिन वह मर्दों से पीछे रहें और उनकी तकबीर के साथ तकबीर कहें और उनकी दुआ के साथ दुआ करें, उस दिन की बरकत और पाकीजागी की प्राप्ति की आशा के साथ (बुखारी, ९७१, मुस्लिम अल इदैन ८९०)

ईदुल फित्र में तकबीरात कहने का वक्त शव्वाल का चांद दिखाई देने के बाद से इमाम के खुतबा से फारिग होने तक है।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह० फरमाते हैं कि ईदुल फित्र में तकबीर की शुरूआत चांद देखने से और ईद की समाप्ति से फारिग होने पर है और ईद से फारिग होने का सहीह कथन के अनुसार तात्पर्य यह है कि इमाम खुतबा से फारिग हो जाये। (फतावा इब्ने तैमिया २४/२२१)

सुन्नत यह है कि ईदगाह एक रास्ते से जाया जाये और दूसरे रास्ते

से वापस आया जाये।

जाबिर रजिअल्लाहो तआला अन्दो बयान करते हैं कि अल्लाह के सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईद के दिन जाते वक्त एक रास्ते और आते वक्त दूसरे रास्ते से वापस आते थे (बुखारी ९८६)

हाफिज इब्ने हजर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के रास्ता बदल कर आने जाने की हिकमत यह बयान करते हैं ताकि इस्लामी शिक्षाओं का लोगों को इल्म हो सके, आप के लिये दोनों रास्ते गवाही दें, जिक्र इलाही को व्यक्त करने के लिये, दोनों रास्तों के लोगों को सलाम करने के लिये, लोगों को धार्मिक बातें सिखाने के लिये, सदका करने के लिये, रिश्ता नाता जोड़ने के लिये (फतहुल बारी २/५४८)

और सबसे बड़ी हिकमत जो एक मुसलमान के नजदीक सबसे ज्यादा विश्वसनीय है वह यह है कि ऐसा करने में रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के तरीके का अनुसरण है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया "तुम्हारे लिये रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जिन्दगी में बेहतरीन नमूना है"। (अल शरहुल मुमतअ ५/११७)

❑❑❑

सदाचार की अहमियत

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम में सब से अच्छा वह है जिस की आदतें अच्छी हों २. मुकम्मल ईमान उस मोमिन का है जो अख़लाक़ में सबसे अच्छा हो। ३. क़यामत के दिन आमाल की तराज़ू में सदाचार से ज़्यादा भारी चीज़ कोई चीज़ न होगी ४. इन्सानों को कुदरत की तरफ से जो चीज़ें अता हुई हैं उनमें सबसे बेहतर चीज़ अच्छे अखलाक़ (सदाचार) हैं। बन्दों में अल्लाह के नज़दीक सब से प्यारा वह है जिस के अख़लाक़ अच्छे हों ६. आख़िरत की ज़िन्दगी में मेरे लिये सबसे पसन्दीदा वह शख्स हो गा जिसके अख़लाक़ अच्छे हों और वही मुझ से क़रीब तर होगा। (सीरतुन्नबी भाग-६ पृष्ठ-२०-२२)

७. किसी ने सवाल किया ऐ अल्लाह के रसूल मोमिनों में सबसे अफ़ज़ल कौन है? फरमाया जो सबसे ज़्यादा खुश अख़लाक हो (सीरत इब्ने हिशाम-दूसरा भाग पृष्ठ-३६१)

८. इन्सान सदाचार से वह दर्जा प्राप्त कर सकता है जो निरन्तर रोज़ा रखने और रातों को मुसलसल इबादत करने से हासिल होता है।

आखिरी बात के सिलसिले में इतना बता देना चाहिए कि यह बात को कहने की एक शैली है जिस में हुस्ने अख़लाक़ (सदाचार) को इस दर्जे पर रख कर पेश किया गया है जो नमाज़ और रोज़े जैसी नफली इबादत से हासिल होता है जो शख्स सदाचार के साथ नफली इबादत में सरगरम (सक्रिय) रहेगा उसका दर्जा और भी बुलन्द होगा।

इन इरशादात से अन्दाज़ा हो सकता है कि सदाचार को इस्लाम धर्म में कितना बुलन्द दर्जा हासिल है और होना भी चाहिए क्योंकि अख़लाक दुरूस्त होंगे तो अफराद व जमाआत में मेल जोल बढ़े गा उनमें मुहब्बत व हमदर्दी को बढ़ावा मिलेगा एक दूसरे के नफा नुकसान और दुख सुख का एहसास तरक्क़ी करेगा। लड़ाई झगड़े के कारण धीरे धीरे खतम होते जाएंगे। यहां तक कि इन्सानियत की पूरी सूसाइटी एक कुंबे के अफराद और एक खानदान के अंग की हैसियत में रहने सहने लगेगी। हर दिल में मानव सम्मान को सहीह मक़ाम मिल जाएगा यही इस्लाम का उददेश्य था।

(रसूले रहमत पृष्ठ ६८०. ६८१)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव
मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली के बड़े भाई का इन्तेक़ाल

दिल्ली १८ अप्रैल २०१६

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली साहब के बड़े भाई जनाब अब्दुर्रहीम साहब अध्यापक मदर्सा मतलउल उलूम दारूल हदीस ख़नदक़ बाज़ार मेरठ के इन्तेकाल पर गहरे रंज व ग़म का इज़हार किया है।

उन्होंने कहा कि वह बड़े चरित्रवान, मिलनसार, शरीअत के पाबन्द और विभिन्न खूबियों वाले थे। बड़े भाई की मौत पर मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली को दिली सदमा पहुंचा है।

प्रेस रिलीज़ के अनुसार अब्दुर्रहीम साहब का कल साढ़े आठ बजे लंबी बीमारी के बाद ४५ साल की आयु में आबाई वतन (पैत्रिक भूमि) मेरठ में इन्तेक़ाल हो गया और अस्र की नमाज़ के बाद उनकी तदफीन अमल में आई। पसमांदगान में बेवा, एक लड़का और लड़कियाँ हैं। अल्लाह उनकी मग़िफरत फरमाये, नेकियों को कुबूल करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और पसमांदगान खास तौर से मौलाना हारून सनाबिली साहब और मदर्सा के जिम्मेदारों को सबरे जमील अता फरमाए। आमीन

स्पष्ट रहे कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अन्य जिम्मेदारान, कार्यकर्ताओं ने भी अब्दुर्रहीम साहब के इन्तेक़ाल पर गहरे रंज व ग़म का इज़हार किया है और पसमांदगान से हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और उनकी मग़फिरत ओर बुलन्द दर्जात के लिये दुआ की है।

जमाअती ख़बर

समाज सुधारक प्रोग्राम

स्थानीय जमीअत अहले हदीस कोलूटोला के सहयोग से शहरी जमीअत अहले हदीस कोलकाता व मुज़ाफात की निगरानी में एक दिवसीय दीनी, दावती, और समाज सुधारक प्रोग्राम लाल मस्जिद अहले हदीस में शहरी जमीअत के अमीर मौलाना ज़की अहमद मदनी की अध्यक्षता (सदारत) में हुई। प्रोग्राम के अन्त में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने कुरआन की महानता, कुरआन पढ़ने और पढ़ाने की फज़ीलत और कुरआन की तालीमात को छोड़ने के नुकसान को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कुरआन की बर्कत है कि यह कुरआन जिस महीने में नाज़िल हुआ वह सबसे अफज़ल हो गया और जिस पर नाज़िल हुआ वह पूरे दुनिया का इमाम बन गया। कुरआन पर अमल उसी वक़्त होगा जब हम इसको समझ कर पढ़ेंगे इस लिये समझ कर इसकी तिलावत की जाए और इसके सन्देश एवं शिक्षाओं को पूरी मानवता तक पहुंचाएँ। इस समाज सुधारक प्रोग्राम से मौलाना मुहम्मद आलमगीर तैमी, मौलाना एजाजुर्रहमान मदनी, मौलाा मारूफ सलफी ने खिताब किया। (जरीदा तर्जुमान-१-१५ मई २०१६)

❑❑❑

जानवरों पर इस्लाम की कपादष्टि

फजलुल्लाह अंसारी

अल्लाह जिस प्रकार इन्सान पर दया करने से मेहरबान होता है उसी तरह जानवरों के साथ दया का व्यवहार करने से इन्सान को सवाब से नवाजता है और इन्सान पर इस कर्म से मेहरबान होता है। बुखारी में है हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

हर तर जिगर (जानदार) के साथ अच्छा व्यवहार करने पर सवाब मिलता है हैवान और जानवर के साथ सदव्यवहार अल्लाह की मग्फिरत और अल्लाह की खुशी की प्राप्ति का माध्यम भी है इसी प्रकार से जानवर के साथ दुर्व्यवहार (मारना और सताना) अल्लाह के क्रोध, प्रकोप और जहन्नम में जाने का कारण भी है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''एक औरत एक बिल्ली की वजह से (दुर्व्यवहार करने के सबब) नरक में चली गयी इस औरत ने एक बिल्ली को बांध रखा था न उसे कुछ खिलाती थी और न उस बिल्ली को आज़ाद करती थी कि वह जमीन के कीड़े मकूड़े की खा ले''।

अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि एक गधा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा जिसके चेहरे को दाग दिया गया था। आपने गधे के साथ इस दुर्व्यवहार को देखकर फरमायाः

''तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने उस शख्स पर लानत की है जो चेहरे पर दाग दे या उसके चेहरे पर मारे''।
जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने की इस अच्छी मिसाल क्या हो सकती है कि अल्लाह के रसूल ने चेहरे पर दागने वाले पर लानत भेजी है।

''तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने उस शख्स पर लानत की है जो चेहरे पर दाग दे या उसके चेहरे पर मारे''।

जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने की इस अच्छी मिसाल क्या हो सकती है कि अल्लाह के रसूल ने चेहरे पर दागने वाले पर लानत भेजी है।

हज़रत इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने तीर अंदाजी सीखने के लिये मुर्गी को लक्ष्य (निशाना) बनाया है यह देख कर इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो ने फरमायाः

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत भेजी है एक पक्षी जो एक इन्सान के मुकाबले में आ ही नहीं सकता उसे भी अगर कोई निशाने बाजी के लिये इस्तेमाल करता है तो उस पर अल्लाह के रसूल ने लानत की है।

एक जानवर पर इस्लाम की यह कृपादृष्टि उसके भव्य और कृपालू धर्म होने की स्पष्ट दलील है। आज के दौर में जानवरों के साथ इस्लाम में इस प्रकार के सदव्यवहार और हमदर्दी पाठप्रद है।

बुराई को ख़तम करने का तरीक़ा

नौशाद अहमद

बुराई को खत्म करने का सबसे सुनेहरा उसूल यह है कि पहले अपने आप को उस बुराई से दूर रखा जाए। नई टेक्नालोजी ने आज इन्सान के जीवन के अन्दाज़ को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। कोई भी टेकनालोजी इन्सान की तरक्क़ी के लिये बनाई जाती है लेकिन उसका इस्तेमाल गलत पहलू से किया जाता है टेलीवीज़न की मिसाल हम सबके सामने है आज कला के नाम पर अश्लीलता और फहहाशी ने भयावह शक्ल ले ली है।

बच्चों की तालीम व तबियत (शिक्षा–प्रशिक्षण) में मां बाप का संयुक्त रोल होता है लेकिन बाप के मुक़ाबले मां का बड़ा और अहम रोल होता है टीवी पर बच्चे क्या प्रोग्राम देख रहे हैं इस पर नज़र रखने के लिये माँ को बड़ी ज़िम्मेदारी निभानी होती है।

नकारात्मक प्रोग्राम से बचाने के लिये मां बाप को पहले खुद पहल करना होगा। टीवी की उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन हमारे लिये ज़रूरी है कि हम पहले बच्चों को किताब के अध्ययन और शिक्षा का आदी बनायें जब हम लोग घरों में किताब पढ़ेंगे तो बच्चे के अन्दर भी देख कर किताब पढ़ने का जजबा और लगन पैदा होगी। देखा और सुना गया है कि मां बाप खुद ऐसे चैनल देखते हैं जिस में वक़्त की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है, जब बच्चे देखते हैं कि खुद मां बाप तो रात रात भर टीवी देखते हैं और हम लोगों को रोकते हैं तो इससे बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ता है। यही वजह है कि बच्चे घर के माहौल को देख कर पढ़ाई से दिल चस्पी लेना छोड़ देते हैं और अपना वक़्त पढ़ने लिखने के बाजाए टीवी और स्मार्ट फोन में लगा देते हैं। नतीजा यह होता है कि पढ़ाई पूरी होने से पहले बच्चों का ज़ेहन और दिशा बदल जाती है और इस अधूरी पढ़ाई की वजह से उनका भविष्य दिशाहीन हो जाता है और जब अमली मैदान में जाते हैं तो वहां आम तौर से नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसलिये हमें ऐसी कोताही नहीं करनी चाहिये जिससे हमारे बच्चों का भविष्य धूमिल हो जाए।

हमारे लिये जितना ज़रूरी आधुनिक ज्ञान है उतना ही ज़रूरी दीन का ज्ञान भी है। आज के ज़माने में इल्म का मतलब पैसा भी हो गया है, इसलिये ज़माने के अनुसार इल्म हासिल किया जाए ताकि अमली मैदान में आने के बाद पछतावे का सामना न करना पड़े, इसके लिये सबसे बड़ा लक्ष्य और टारगेट यह होना चाहिये कि हम शुरू से ही अध्ययन को अपनी आदत बनाएं और टीवी में अपना और अपने बच्चों का वक़्त बर्बाद न करें, इस सिलसिले में सबसे अहम रोल मां बाप का है कि वह अपने बच्चों के अन्दर अध्ययन और टेकनालोजी के तईं लगन पैदा करें। एक रास्ता हमें इल्म और ज्ञान से दूर करता है और दूसरा रास्ता हमें इल्म और ज्ञान की तरफ ले जाता है एक रास्ता कामयाबी की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता गरीबी और नाकामी की तरफ ले जाता है इसलिये हमें वह रास्ता अपनाना चाहिए जो हमें खुशहाली और कामयाबी की तरफ ले जाता हो।

Posted On 21-22 Every Month
Posted At NDPSO
"Registered with the Registrar
of Newspapers for India"

MAY 2019
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2017 - 2019

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

रमज़ानुल मुबारक के अवसर पर

सदक़ात व ख़ैरात का हिस्सा मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस
हिन्द को देना न भूलें

अपीलः- अराकीन मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस

28